UPSB010049122022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–1, सोनभद्र।

उपस्थित– खलीकुज्ज़मा (H.J.S.) (UP 5930)

विशेष दाण्डिक वाद सं0–672/2022

उत्तर प्रदेश राज्य .....

...अभियोगी।

बनाम

अरविन्द जायसवाल पत्रु रमाशंकर निवासी मोन रोड बैरपान अनपरा थाना अनपरा जिला सोनभद्र।

.....अभियुक्त।

मुकदमा अपराध सं0–422/2020
धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003
थाना– एंटीपावर थेफ्ट, जनपद सोनभद्र।

निर्णय

1. प्रस्तुत विशेष दाण्डिक वाद से सम्बंधित अपराध में थाना एंटीपावर थेफ्ट, जिला सोनभद्र की पुलिस ने अभियुक्त **अरविन्द जायसवाल पुत्र रमाशंकर** के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं0–422/2020, अंतर्गत धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1, सोनभद्र द्वारा दिनांक–10.10.2022 को अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया है।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि दिनांक–20.10.2020 को वहद स्थान मेन रोड बैरपान थाना अनपरा, जिला सोनभद्र में मुकदमा वादी अंजय कुमार सिंह, प्रभारी पुलिस प्रवर्तन दल सोनभद्र व अन्य विद्युत कर्मचारीगण द्वारा अभियुक्त अरविन्द जायसवाल पुत्र रमाशंकर के विद्युत संयोजन को चेक किया गया तो अभियुक्त द्वारा बिना संयोजन प्रपत्र व बीना मीटर के विद्युत का उपयोग कटिया लगाकर किया जा रहा था।

3. वादी मुकदमा अंजय कुमार सिंह, प्रभारी पुलिस प्रवर्तन दल सोनभद्र की सूचना के आधार पर थाना एंटीपावर थेफ्ट, जिला सोनभद्र में अभियुक्त अरविन्द जायसवाल पुत्र रमाशंकर के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं0–422/2020 अंतर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 में दिनांक–22.10.2020 को समय 14.47 बजे चिक किता किया गया। जिसकी प्रविष्टि थाने की जी0.डी0सं0– 007 में की गयी है।

4. मामले में विवेचक नियुक्त हुए। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी तैयार किया गया। सम्बंधित साक्षियों का बयान धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अंकित किया गया। पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त अरविन्द जायसवाल पुत्र रमाशंकर के विरूद्ध अंतर्गत धारा – 135 भारतीय विद्युत अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

5. अभियुक्त को आहूत किया गया, वह उपस्थित अदालत आया। राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को आरोप के बिन्दु पर सुनकर दिनांक–10.01.2023 को अभियुक्त अरविन्द जायसवाल पुत्र रमाशंकर के विरूद्ध अंतर्गत धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम का आरोप पाते हुए उक्त धारा में आरोप विरचित किया गया। उक्त आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने अभिकथन और अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने के लिए मौखिक साक्षी के रूप में बतौर साक्षी पी0डब्लु–1 अमित कुमार सिंह, कार्यकारी सहायक, विद्युत वितरण खण्ड पिपरी सोनभद्र को परीक्षित कराया गया है।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पूर्वांचल विद्युत विरण निगम लिमिटेड, पिपरी सोनभद्र द्वारा प्रेषित पत्र का0सं0–8ख/1 जिसमें पत्रांक–2991 दिनांकित–12.12.2022 को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित कराया गया है। इसके अलावा अभियोजन प्रपत्र जैसे आरोप पत्र, चिक एफ.आई.आर., तहरीर पर प्रदर्श, कायमी मुकदमा जी0डी0, नक्शा नजरी की सत्यता को अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार की गयी है।

8. अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् अभियुक्त अरविन्द जायसवाल पुत्र रमाशंकर का बयान अंतर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अंकित किया गया। अभियुक्त ने दिनांक –20.10.2020 के पूर्व से बिना विद्युत कनेक्शन लिए, स्वतः कटिया लगाकर विद्युत का उपयोग करने के तथ्य को सही बताया तथा दिनांक– 20. 10.2022 को वादी मुकदमा श्री अंजय कुमार सिंह, प्रभारी पुलिस प्रवर्तन दल सोनभद्र द्वारा अन्य कर्मचारीगण के साथ वहद स्थान मेन रोड बैरपान अनपरा थाना अनपरा, जिला सोनभद्र में विद्युत निरीक्षण किये जाने के तथ्य को भी सही बताया तथा बिना विद्युत कनेक्शन के पास में स्थित एल.टी. लाइन से जोडकर विद्युत का उपभोग करने के सम्बंध में गलती से होना स्वीकार किया गया है। साक्षी पी0डब्ल–1 अमित कुमार सिंह, कार्यकारी सहायक के बयान के बारे में सही बयान देना बताया। अभियोजन पक्ष की ओर से साबित कराये गये तथा दाखिल प्रपत्रों जिनकी सत्यता

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार की गयी है, के सम्बंध में यह कहा है कि सही स्वीकार किये हैं का कथन तथा मुकदमा सही चलना बताया, सफाई देने से इन्कार करते हुए कहा कि समस्त बकाया राशि जमा कर मुकदमा शमन करा लिया है तथा उसे दोषमुक्त किये जाने का कथन किया गया।

9. राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एंव पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक तथा प्रलेखीय साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया गया।

10. अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लु –1 अमित कुमार सिंह, कार्यकारी सहायक विद्युत विरण खण्ड पिपरी सोनभद्र ने अपने बयान में यह कहा है कि ''अभियुक्त अरविन्द जायसवाल पुत्र रमाशंकर निवासी मेनरोड बैरपान थाना अनपरा सोनभद्र के विरूद्ध विद्युत अधिनियम की धारा–135 के अंतर्गत मु0अ0सं0– 422/20 थाना एंटीपावर थेफ्ट में पंजीकृत हुआ। अभियुक्त द्वारा कार्यालय में राजस्व निर्धारण शुल्क रूपया53,913 दिनांक– 07.12.2022 व शमन शुल्क रूपया 5000/– दिनांक– 12.12.2022 के माध्यम से जमा कर दिया है। अभियुक्त पर मुकदमें से सम्बंधित बकाया शेष नहीं है। पत्रावली पर संलग्न का0सं0–8ख/1 जो अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड पिपरी सोनभद्र के हस्ताक्षर से जारी पत्र है, जिसकी शिनाख्त करता हूॅ, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।''

11. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त अरविन्द जायसवाल पुत्र रमाशंकर के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं0–422/2020 अंतर्गत धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 के तहत थाना एंटीपावर थेफ्ट जिला सोनभद्र में दिनांक–20.10.2020 को मुकदमा पंजीकृत किया गया। जिसमें विवेचना के उपरान्त उक्त धारा में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध विशेष दाण्डिक वाद सं0–672/2022 पंजीकृत किया गया। पत्रावली में दाखिल का0सं0–8ख/1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, पूर्वांचल विद्युत वितरण खण्ड निगम लि0 पिपरी सोनभद्र के पत्रांक–2991 दिनांकित–12.12.2022 के अवलोकन से यह विदित होता है कि अभियुक्त द्वारा राजस्व शुल्क 53,913/– दिनांक– 07.12.2022 व शमन शुल्क धनराशि मु0–5000/– दिनांक–12.12.2022 को विद्युत विभाग के कार्यालय में जमा कर मुकदमा शमन करा लिया गया है। साक्षी पी0डब्लु–1 अमित कुमार सिंह, कार्यकारी सहायक विद्युत वितरण खण्ड पिपरी, सोनभद्र द्वारा अपने बयान में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पिपरी सोनभद्र

के पत्र को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया गया है।

12. अभियुक्त के द्वारा कारित किया गया अपराध शमनीय प्रकृति का है तथा अभियुक्त के द्वारा संबंधित परिप्रेक्ष्य में वांछित विद्युत बिल को विद्युत विभाग में जमा कर दिया गया तो ऐसी स्थिति में धारा 152 विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत ऐसे मामलों में जिसमें अपराध शमनीय हो, और विद्युत बिल अदा कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का प्रावधान हैं। पत्रावली पर उक्त धारा 152 विद्युत अधिनियम के प्रावधान के तहत अभियुक्त के द्वारा शमन शुल्क व विद्युत राजस्व निर्धारण को अदा किया जा चुका हैं तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को धारा 135 विद्युत अधिनियम के दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किए जाने का पर्याप्त आधार उत्पन्न होता है।

13. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना एवं पत्रावली के अवलोकन से यह साबित होता है कि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत मामले सम्बंधित विद्युत बकाया धनराशि विद्युत विभाग में जमा कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत मामले में अभियुक्त अरविन्द जायसवाल पुत्र रमाशंकर के विरूद्ध लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है।

आदेश

विशेष दाण्डिक वाद सं0–672/2022 मु0अ0सं0–422/2020 अंतर्गत धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 अंतर्गत थाना एंटीपावर थेफ्ट जनपद सोनभद्र के मामले से अभियुक्त अरविन्द जायसवाल पुत्र रमाशंकर को दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है, उसके जमानतनामें एंव बंधपत्र निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक– 28.04.2023

(खलीकुज्ज़मा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–1, सोनभद्र।
(J.O Code - UP 5930)

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक– 28.04.2023

(खलीकुज्ज़मा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–1, सोनभद्र।
(J.O Code - UP 5930)